तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी / एलआर / 2004 / 2666 / सवाई माधोपुर</u>** **गंगाराम बनाम हजारी**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

<u>एकल–पीठ</u>
श्री हरि शंकर गोयल, सदस्य

<u>उपस्थित :–</u>
श्री वी.पी. सिंह, अभिभाषक प्रार्थी
श्री अशोक अग्रवाल, अभिभाषक अप्रार्थी

<u>दिनांक : 24 मार्च, 2022</u>

<u>निर्णय</u>

1– यह निगरानी अन्तर्गत धारा–84 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर के निर्णय दिनांक 21–6–2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2– निगरानी के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम डिडायच स्थित आराजी खसरा नम्बर–73 रकबा 15 बीघा भूमि का प्रार्थी को आबंटन कमेटी द्वारा दिनांक 26–5–1973 को विधिवत आबंटन किया जाकर कब्जा सुपुर्द किया गया, तभी से प्रार्थी उक्त भूमि पर बहैसियत गैर खातेदार / खातेदार काबिज काश्त चला आ रहा है। उक्त आबंटन के विरूद्ध अप्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम–14(4) (राजस्थान भू राजस्व अधिनियम नियम–1970) विद्वान अतिरिक्त कलेक्टर, सवाई माधोपुर के न्यायालय में पेश किया। जिन्होंने प्रार्थी को आबंटन नहीं होना मानकर प्रार्थी के हक में हुये आबंटन आदेश दिनांक 26–5–1973 को फर्जी होना करार देते हुये प्रार्थी के हक में हुये नामान्तरकरण संख्या–31 दिनांक 22–3–1997 को एक ही आदेश दिनांक 17–4–2004 द्वारा निरस्त कर दिया। जिसके विरूद्ध प्रार्थी ने एक अपील विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर में मय स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत की। जिन्होंने अपने निर्णय दिनांक 21–6–2004 को स्थगन प्रार्थना पत्र पर आदेश पारित करते हुये विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर ने प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत स्थगन आदेश निरस्त फरमा दिया। उक्त निर्णय से व्यथित होकर यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी / एलआर / 2004 / 2666 / सवाई माधोपुर</u>** **गंगाराम बनाम हजारी**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	है। 3– बहस उभयपक्ष सुनी गयी। 4– विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने निगरानी मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर का निर्णय न्याय, नियम एवं विधि के विपरीत होने से निरस्तनीय है। प्रार्थी का आबंटन 31 वर्ष पुराना है तथा प्रार्थी वादग्रस्त आराजी पर बहैसियत खातेदार काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर ने आबंटन से सम्बन्धित मूल पत्रावली मंगवाये बिना एवं उनका अवलोकन किये बिना प्रार्थी का स्थगन प्रार्थना पत्र सम्पूर्ण तौर पर निरस्त कर दिया जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार फरमायी जाकर विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर का निर्णय दिनांक 21–6–2004 को निरस्त फरमावें तथा उनके समक्ष विचाराधीन अपील के निर्णय तक मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति के आदेश पारित फरमावें। 5– विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण ने बहस का जवाब देते हुये कथन किया कि निगरानीकर्ता को कभी भी 15 बीघा भूमि का आबंटन नहीं किया गया। निगरानीकर्ता ने बन्दोबस्त विभाग के अधिकारियों से सांठ–गांठ कर नामान्तरकरण संख्या–31 दिनांक 22–3–1997 खुलवा दिया। न्यायालय अतिरिक्त कलेक्टर, सवाई माधोपुर ने अपने निर्णय दिनांक 17–4–2004 द्वारा उक्त आबंटन निरस्त कर दिया। विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर ने अपने निर्णय दिनांक 1–6–2004 द्वारा मौके की यथास्थिति बनाये रखने का एकपक्षीय आदेश दिया। लेकिन जब बाद में उभय पक्ष की बहस सुनी तो अपने आदेश दिनांक 26–6–2004 द्वारा वह स्थगन आदेश भी निरस्त कर दिया। यह एक विधिसम्मत निर्णय था जिसके विरूद्ध यह सारहीन निगरानी प्रस्तुत की है। अन्त में उन्होंने इस निगरानी को निरस्त करने का निवेदन किया।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी / एलआर / 2004 / 2666 / सवाई माधोपुर</u>** **गंगाराम बनाम हजारी**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	6– हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की विद्वतापूर्ण बहस पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया। सम्पूर्ण पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। 7– पत्रावली का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि गंगाधर पुत्र श्योराम मीणा को आराजी खसरा नम्बर–72 रकबा 5 बीघा का आबंटन दिनांक 26–5–1973 को किया गया जिससे निगरानीकर्ता का कोई संबंध नहीं है। निगरानीकर्ता को आराजी खसरा नम्बर–71 में रकबा 5 बीघा का आबंटन हो गया है। नामान्तरकरण संख्या–31 दिनांक 22–3–1997 बन्दोबस्त विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की मिली भगत से खोला गया है जो कि अवैध होने के कारण निरस्त कर दिया गया था। उक्त निर्णय पूर्णतः विधिसम्मत, न्यायसंगत व विधिसम्मत है। इसलिये विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर ने जो पहले एकपक्षीय बहस के आधार पर दिनांक 1–6–2004 को जो मौके की यथास्थिति बनये रखने बाबत स्थगन आदेश कर दिया था उसे उभय पक्षों को सुनने के बाद दिनांक 21–6–2004 को निरस्त कर दिया गया है। उक्त निर्णय विधिसम्मत व तर्कसंगत है, जो पोषणीय है। 8– उपरोक्त विवेचन के अनुसार यह निगरानी सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड लौटाया जाये। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(हरि शंकर गोयल)** **सदस्य**	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी / एलआर / 2004 / 2666 / सवाई माधोपुर</u>** **गंगाराम बनाम हजारी**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए